

उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, धौद जिला - सीकर

किस्म मुकदमा वजरागलाल बजरागलाल बनाम तहसीलदार
 मु.नं. 07 वर्ष 2025

दिनांक आज्ञा - पत्र

20 ⁰⁷/₂₅

वकील प्रार्थी/डिक्रीदार द्वारा इजराय पालना हेतु न्यायालय में पेश किया गया। इजराय प्रा.पत्र का अवलोकन किया। इजराय हरतगत न्यायालय के दावा मु.सं. 34/2025 बचनवान बजरागलाल आदि बनाम तारागणी आदि में निर्णय डिक्री दिनांक 10.07.2025 की पालना के संबंध में है। अतः प्रकरण इजराय दर्ज रजिस्टर होकर पालना हेतु तहसीलदार, सीकर ग्रामीण को पत्र लिखा जाकर पत्रावली दिनांक 11.08.2025 को पेश है।

उपखण्ड अधिकारी
धौद, जिला सीकर

11 ⁰⁶/₂₅

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी/डिक्रीदार उप. रिपोर्ट दि. 08 ⁰⁹/₂₅ का पेश हो।

08 ⁰⁹/₂₅

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी/डिक्रीदार उप. रिपोर्ट दि. 06 ¹⁰/₂₅ का पेश हो।

06/10/25

पत्रावली पेश हुई। आज अभिभाषक संघ का कार्य स्थगन है। अतः पत्रावली गत आदेशानुसार दिनांक 14/11/25 को पेश हो।

14 ¹¹/₂₅

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी/डिक्रीदार उप. रिपोर्ट दि. 17 ¹²/₂₅ का पेश हो।

17 ¹²/₂₅

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी/डिक्रीदार उप. प्रकरण इजराय में वर्धित निर्णय व डिक्री की पालना के संबंध में तहसीलदार सीकर ग्रामीण के पत्रावली दि. 25/11/25 दि. 17 ¹²/₂₅ के द्वारा पालना की मांग पालना रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है। अतः तहस्तगत इजराय में आगे कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने के तहस्तगत पत्रावली की कार्यवाही को वकील प्रार्थी/डिक्रीदार की मांग की जाती है। पत्रावली केवल शुभाद होकर बाह तहमील हाजिल रूप में है।

उपखण्ड अधिकारी
धौद जिला-सीकर

